an>

Title: Need to set up a bench of National Green Tribunal in Gujarat.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : देश के प्राकृतिक संसाधनों का उचित संरक्षण करने हेतु दीर्घकालिक दृष्टि तथा पर्यावरणीय समस्याओं को कानूनी समाधान के आशय से 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में भारत सरकार के विधि आयोग द्वारा स्थापित पर्यावरणीय अदालत की स्थापना के लिए सिफारिश की हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत देश के पश्चिम, मध्यम तथा दक्षिण और पूर्व के राज्यों के लिए पुणे, भोपाल, चेन्नई तथा कोलकाता में एनजीटी का शुभारंभ हुआ था ट्रिब्यूनल के ढांचे में चेयरमैन तथा ज्युडिशियल तथा तकनीकी क्षेत्रों के 10-10 सदस्यों को मिलाकर 20 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की नियुक्ति 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। एनजीटी के निर्णय के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, तथा दादरा नगर हवेली को जोड़ने वाली एनजीटी अगस्त 2013 में पुणे में स्थापित की गई।

मेरी मांग है कि गुजरात के पर्यावरणविदों को पुणे आने-जाने में कठिनाई होती है। अतः गुजरात में ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए। क्योंकि पुणे में ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने वाले आम गुजरातियों को भाषा संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस संबंध में केस दायर करने से लेकर उनकी पैरवी तक काफी दिक्कत झेलनी होती है। साथ ही ट्रिब्यूनल के माननीय सदस्यों को जांच हेतु गुजरात के विभिन्न स्थानों में जाने की कठिनाई होती है जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि एनजीटी को हाईकोर्ट जैसी शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए तथा देश के प्रत्येक राज्य में जनता की प हुंच के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए।